

संदर्भ संख्या- 124-127 / यूपीसीडा / अनुपालन संस्कृति दिनांक 20-12-2013

### कार्यालय आदेश

विभिन्न पटलों से जो पत्रावलियाँ प्राप्त हो रही हैं उनका परीक्षण करने पर यह पाया जा रहा है कि पत्रावलियों में बिना कोई अभिमत अंकित किये तथा बिना कोई संस्तुति किये पत्रावली क्षेत्रीय प्रबन्धक की आख्या के आधार पर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जा रही है, जो कदापि उचित नहीं है। इस संदर्भ में पूर्व में भी यह अपेक्षा की गई थी कि मुख्यालय रत्तर से प्रस्तुत की जाने वाली पत्रावलियों में समस्त प्रभारी अनुभागाध्यक्ष/ महाप्रबन्धक / उपमहाप्रबन्धक आदि अपनी स्पष्ट संस्तुति अंकित करते हुए पत्रावली प्रस्तुत करेंगे, परन्तु इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जो आपत्तिजनक है।

अतः यह निर्देशित किया जाता है कि किसी भी पत्रावली पर टीप प्रस्तुत करने में निम्न प्रक्रिया का अनुपालन किया जाये एवं भविष्य में पत्रावली अपनी स्पष्ट संस्तुति के साथ ही अधोहस्ताक्षरी/मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाये:-

1. जिस विषय में प्रार्थनापत्र दिया गया है उस विषय का उल्लेख प्रथम प्रस्तर में किया जाये।
2. प्रार्थनापत्र के संदर्भ में क्षेत्रीय प्रबन्धक की आख्या का उल्लेख अगले प्रस्तर में किया जाये।
3. जिस विषय में प्रार्थनापत्र दिया गया है उसके संदर्भ में वर्तमान में प्रभावी आपरेटिंग मैनुअल, अद्यतन शासनादेश, बोर्ड निर्णय एवं कार्यालय आदेश का स्पष्ट उल्लेख प्रस्तर-3 में किया जाये।
4. उक्त के आलोक में समस्त प्रभारी अनुभागाध्यक्ष/ महाप्रबन्धक / उपमहाप्रबन्धक आदि समस्त प्रार्थनापत्रों के सम्बन्ध में अपना अभिमत करते हुए और प्रार्थना पत्र के अनुसार क्षेत्रीय प्रबन्धक की संस्तुति उचित है अथवा अनुचित, उस पर स्पष्ट टिप्पणी अंकित करते हुए अपनी संस्तुति सहित पत्रावली प्रेषित करें।

भविष्य में समस्त पत्रावलियों की टीप उपरोक्तानुसार ही प्रस्तुत की जाये। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिथिलता न घरती जाये।

( राजेश कुमार राय )  
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी